

पत्रांक-बि०प्र०सु०मि०सो०/HRMS-08/2023, सो०-1702
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
 मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक- 25/09/2024

विषय:- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के लागू मॉड्यूल्स का उपयोग सुनिश्चित करने के सम्बंध में।

प्रसंग:- मिशन सोसाइटी का पत्रांक-3787, दिनांक-14.09.2023, पत्रांक-3928, दिनांक-05.10.2023, पत्रांक-134, दिनांक-22.01.2024, पत्रांक-4436, दिनांक-17.11.2023, पत्रांक-556, दिनांक-25.03.2024, पत्रांक-887, दिनांक-31.05.2024 एवं पत्रांक-1215, दिनांक-25.07.2024।

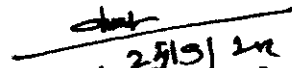
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना अंतर्गत HRMS पोर्टल पर चरणवार कार्य मॉड्यूल्स, यथा- (1) Payroll Module, (2) Employee Service Book Correction, (3) Service Verification, (4) Leave Management, (5) Travel Entitlement and Claims Management, (6) Income Tax declaration and POI (Functionality), (7) Reward and Appreciation, (8) Sthapna (HR Manager) तथा (9) Employee Self Service-Part-A को Go-Live किया जा चुका है।

वेतन आदि से संबंधित Payroll Module का उपयोग राज्य के सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जबकि उपर्युक्त वर्णित अन्य Go-Live हो गये 8 मॉड्यूल्स का उपयोग सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर नगण्य है।

अतः अनुरोध है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के लागू कर दिये गये मॉड्यूल्स का समुचित उपयोग किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय प्रधानों को निदेशित करने एवं आवश्यकतानुसार साप्ताहिक अनुश्रवण करने की कृपा की जाय। सभी कार्यालयों में शत प्रतिशत आच्छादन 31.10.2024 तक सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


 25/9/24
 (अमृत लाल मीणा)
 मुख्य सचिव।